न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 02/2018
केस्म प्रार्थना पत्र 75 एलआर एक्ट
निर्णय दिनांक 11.03.2020

1. गजराज पुत्र ननुआ जाति जाट निवासी बुढवारी खुर्द तहसील नदबई(भरतपुर)राज.

अपीलांट

बनाम

1. सोनादेवी पत्नि महाराजसिंह जाति जाट निवासी बुढवारी खुर्द तहसील नदबई(भरतपुर)राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री भगवानसिंह फौजदार एड0

निर्णय

प्रार्थना पत्र 75 एलआर एक्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह है कि अपील में सभी पक्षकारान वालिग एवं स्वस्थ्यचित्त है जो अपील की पैरवी करने हेतु सक्षम है।
2. यह कि आराजी खाता सं. 198 के आराजी खसरा नम्बर 191 रकवा 0.27 है. वाके मौजा बुढवारीखुर्द तहसील नदबई में स्थित है। उक्त खसरा न. में से अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 13.05.08 से विवादित आराजी में से 0.24 है. रकवा रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 को विक्रय किया था, तथा शेष 0.03 है. रकवा प्रार्थी गजराज की खातेदारी में शेष है, तथा मौके पर शेष रकवा पर अपीलांट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, लेकिन उक्त वयनामा का दिाखिला खारिज सं. 176 को दर्ज करते समय वयनामा में विक्रय किये गये 0.24 है. के बजाय 0.27 है. संपूर्ण रकवा का दाखिला खारिज कर संपूर्ण रकवा 0.27 है. का रेस्पोडेन्ट सं. 1 को खातेदार दर्ज कर दिया गया जबकि रेस्पोन्डेन्ट सं. 1ने 0.24 है. रकवा क्रय किया था ऐसी स्थिति में नामांतकरण सं. 176 के द्वारा गलत इन्द्राज अमल दरामद किये गये हैं। जो खिलाफ रिकॉर्ड है। इसलिये अपीलांट इन्त. न. 176 को निरस्त करा पाने का अधिकारी है, तथा अपीलांट बिक्री से शेष 0.03 है. की खातेदारी अपने नाम दर्ज करा पानी का अधिकारी है।

Scanned by CamScanner

3. यह कि अपीलांट ने दिनांक 26.03.18 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु अपने खातेदारी के रकवा की नकल जमाबंदी प्राप्त की तो उसके उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी है ऐसी स्थिति में अपील बिना किसी देरी के अंदर म्याद श्रीमान जी के समक्ष पेश की जा रही है।

4. यह कि उपरोक्त उनवान की अपील में वर्णित आराजी व पक्षकारान गांव बुढवारी खुर्द के हैं। इसलिये प्रकरण श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में स्थित है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त उनवान की अपील को स्वीकार कर इन्तकाल सं. 176 को निरस्त कर अपीलांट को 0.03 है. रकवा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रार्थीगण की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रार्थी की तरफ से श्री भगवानसिंह फौजदार एडवोकेट पेश हुये। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति हाल जमाबंदी संबत 2070–73 वाके ग्राम बुढवारीखुर्द, नकल नामांतकरण सं. 176 वाके मौजा बुढवारीखुर्द, फोटोप्रति नकल वयनामा दिनांक 13.05.2018 तहसील नदबई पेश किये गये।

हमने एकतरफा बहस अपीलांट की सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों का अवलोकन किया, तथा बहस पर मनन किया तो पाया कि पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड नकल नामांतकरण सं. 176 दिनांक 18.12.2012 व नकल वयनामा दिनांक 13.05.08 का अवलोकन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलांट द्वारा आराजी खसरा न. 191 रकवा 27 ऐयर में से 24 ऐयर का बेचान किया गया था, लेकिन नामांतकरण त्रुटीवंश संपूर्ण आराजी 27 ऐयर का कर दिया गया। जो गलत है, तथा काबिल दुरूस्ती के है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतकरण सं. 176 दिनांक 18.12.2008 निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत खटौटी को आदेश दिया जाता है कि कि दोनों पक्षों को सुना जाकर वयनामे के आधार पर पुनः नामांतकरण की कार्यवाही संपादित करें।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

Scanned by CamScanner